रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 90] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 25, 1976/फाल्गुन 6, 1897
No. 90] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 25, 1976/PHALGUNA 6, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Banking)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 20th February 1976

S.O. 136(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, being requested so to do by Indian Overseas Bank, establishes, with effect from the 25th February, 1976, a Regional Rural Bank in the State of Orissa under the name of Puri Gramya Bank, which shall operate within the local limits of the district of Puri in the State of Orissa.

[No. F.4-87/75-AC(I)]

वित्त मंत्रालय

(बैंकिंग विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1976

का० आ० 136(अ).—क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा (3) की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, इंडियन ओवर-

सीज बैंक के अनुरोध पर 25 फरवरी, 1976 से पुरी ग्राम्य बैंक नामक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करती है। यह बैंक उड़ीसा राज्य के पुरी जिले की स्थानीय सीमाओं में अपना कारोबार करेगा।

[सं० एफ० 4-87/75-ए० सी० (I)]

S.O. 137(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Indian Overseas Bank, by which Puri Gramya Bank has been sponsored, specifies Pipli as the place where Puri Gramya Bank shall have its head office.

[No. F.4-87/75-AC(II)]

N. C. SEN GUPTA, Secy.

का० आ० 137 (अ).—क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा पुरी ग्राम्य बैंक के प्रायोजक इंडियन ओवरसीज बैंक के परामर्श से पिपली को उस स्थान के रूप में निर्धारित करती है, जहां पर पुरी ग्राम्य बैंक का मुख्य कार्यालय होगा।

[सं० एफ० 4-87/75-ए० सी० (II)]

एन० सी० सेनगुप्ता, सचिव।

(Department of Banking)

New Delhi, the 25th February 1976

S.O. 138(E).—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby notifies, for the purposes of the said sub-clause, Puri Gramya Bank, being an institution established under sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

[No. F.4-87/75-AC(III)]

K. P. A. MENON, Jt Secy.

(बैंकिंग विभाग)

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 1976

का० आ० 138 (अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (क) के उपखण्ड (iii) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा पुरी ग्राम्य बैंक को उक्त उपखंड के प्रयोजन के लिये क्षेत्रीय बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत स्थापित संस्था के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं० एफ० 4-87/75-ए० सी० (III)]

के० पी० ए० मेनन, संयुक्त सचिव।

RESERVE BANK OF INDIA

(Department of Banking Operations and Development)

Bombay, the 25th February 1976

S.O. 139(E).—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely:—

Puri Gramya Bank, Pipli.

[DBOD. No. 110/INCL/C. 102-76]

K. S. KRISHNASWAMY,
Dy. Governor.

भारतीय रिजर्व बैंक

(बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग)

बम्बई, 25 फरवरी, 1976

का० आ० 139(अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को समाविष्ट किया जाए, अर्थात् :—

पुरी ग्राम्य बैंक, पिपली ।

[डी० बी० ओ० डी० सं० 110/आई एन सी एल/सी 102–76]

के० एस० कृष्णस्वामी,
उप गवर्नर ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976